दैनिक जागरण, भोपाल
28 SEP 2011

लोक सेवा गारंटी एक महत्वपूर्ण कदम

25 सितम्बर को हमने पं. दीनदयाल उपाध्यायजी की जयंती मनाई। पं. दीनदयालजी उन बिरले विचारकों में से एक हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत की संपूर्ण व्यवस्थाओं में स्वातंत्र्य के बोध की कल्पना की थी। उन्होंने सामाजिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, कृषि और प्रशासनिक व्यवस्था में भी स्वतंत्रता के एक बोध का स्वरूप तैयार किया था। लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर उनका स्पष्ट मत था कि ''लोकतांत्रिक व्यवस्था जनता के प्रति शासन के कर्तव्यों की पूर्ति का उपकरण है, जिसकी प्रभावशीलता उत्तरदायित्व एवं अनुशासन में निहित है।'' दीनदयालजी इस पक्ष में थे कि अंग्रेजों के जाने के बाद समस्त व्यवस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन किया जाये। लेकिन दुर्योग से ऐसा नहीं हो पाया। आज दुर्भाग्य से भारत के सामाजिक जीवन और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में हम जो भ्रष्टाचार देख रहे हैं। उसका केवल एक कारण है कि हमने अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया। इसीलिए प्रशासनिक व्यवस्था की मानसिकता समाज के प्रति जवाबदेह प्रतीत ही नहीं होती। इसका एहसास हमें कई बार, कई जगह हुआ है और यही भ्रष्टाचार का मूल कारण है।

प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासनिक व्यवस्था को जनोन्मुखी बनाने के लिए कई कदम उठाए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम लोक सेवा प्रदाय गारंटी कानून है। लोक सेवा गारंटी कानून में पहली शर्त है कि काम समय सीमा में पूरा हो। देश में अपनी तरह का यह पहला कानून है। इस कानून के तहत प्रारंभ में 9 विभागों की 26 सेवाएं थीं जो अब बढ़कर 12 विभागों की 52 सेवाएं हैं। यह सेवाएं तय समय सीमा में मिलेंगी।

आज दुर्भाग्य से भारत के सामाजिक जीवन और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में हम जो भ्रष्टाचार देख रहे हैं। उसका केवल एक कारण है कि हमने अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया। और यही भ्रष्टाचार का मूल कारण है।

कानून अंतर्गत शासकीय विभागों को निश्चित समय सीमा के भीतर लोगों के कार्य करके देने हैं।

इस कानून के लागू होने से आम आदमी से जुड़ी अहम सेवाएं खसरे की नकल, बिजली या नल कनेक्शन, स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र और राशन कार्ड का बनना, हैंडपंप का सुधार, प्रसूति योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन व अन्य सामाजिक योजनाओं का लाभ समय पर मिलेगा। सुशासन के लिये बनाये इस कानून में सेवाएं न मिलने पर आवेदक संबंधित कर्मचारी अथवा अधिकारी के विरुद्ध अपील कर सकता है। अपील के बाद संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को दण्ड का प्रावधान है। यह दण्ड 250 रुपये से लेकर 5 हजार तक हो सकता है। इससे जवाबदेही की प्रक्रिया में पारदर्शिता आयेगी। लोक सुविधा में बढ़ोतरी होगी। यह सुशासन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का प्रदेश सरकार का कारगर प्रयास है। इसे जन को सशक्त बनाने और तंत्र को पारदर्शी बनाने का व्यवहारिक कदम माना जा सकता है।

पिछले वर्ष 25 सितम्बर को लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 लागू किया गया था। पं. दीनदयाल उपाध्यायजी की जयंती मनाने के साथ लोक सेवा गारंटी कानून की भी वर्षगांठ मनाई गई। जिसे प्रदेश सरकार ने लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया। लोक सेवा को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है ''नागरिक सेवाएं समय पर मिलना लोगों का हक है। हम प्रदेश के नागरिकों को उनके अधिकार देने के लिए संकल्पित हैं।'' पिछले वर्ष इस कानून से प्रशासन को परिचित कराया गया, साथ ही लगभग 70 लाख लोगों को लाभ दिलाया गया। शुरुआत से आमजन आशान्वित है। अब मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस कानून के प्रति सामाजिक जागृति बढ़ाने और प्रशासन तंत्र को जरूरतमंद के प्रति जवाबदेही बनाने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए वे 25 सितम्बर से लोक सेवा प्रदाय गारंटी अभियान चलाने जा रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री खुद इस कानून की समीक्षा करेंगे। वे मध्यप्रदेश के कोने-कोने में जायेंगे, लोगों से मिलेंगे, समस्या को स्वयं जांचेंगे और शिकायत मिलने पर दण्डित किया जायेगा। इससे प्रशासनिक तंत्र समाज के प्रति जवाबदेह होगा तथा लोक व तंत्र के बीच व्याप्त विसंगतियां दूर होंगी। यही वजह है कि भारत सरकार सहित प्रदेश के कई अन्य राज्यों ने इस कानून का मसौदा मांगा है।

वर्तमान में प्रशासनिक कदाचार को लेकर पूरे भारत में बेचैनी है। आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन मध्यप्रदेश पहला राज्य है जिसने एक सकारात्मक अभियान छेड़ा है। निश्चित ही इससे भ्रष्टाचार को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी।

(लेखिका मप्र जन अभियान परिषद् में सलाहकार हैं)